न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0नं0:–160/2023 तारीख रजूः–27.10.2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. बत्तो बेवा स्व0 शिब्बूराम निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी
2. पृथ्वी
3. भगवान सिंह
4. केशूराम

} पिसरान फैली समस्त जाति कोली निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(वादीगण)

बनाम

1. तहसीलदार जी तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(प्रतिवादी)

दावा बावत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी

उपस्थितिः– श्री मदन मोहन शर्मा एड0 (वादीगण)

निर्णय दिनांकः–31.05.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुजानपुरा स्थित आराजी ख0नं0 618/0.14, 620/0.24, 621/0.01 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.39 है0 उक्त आराजी विरासत की आराजी है जो कि पिता फैली पुत्र कल्ला जाति कोली से प्राप्त हुई है। वादीगण नं0 2, 3, 4 मृतक फैली के विरासत का नामान्तकरण नहीं खुला है। रेवेन्यू कर्मचारियों ने गलती से वादीगण 2, 3, 4 के नाम के सामने जाति कोली के स्थान पर मीना दर्ज कर दिया जो गलत है। इस कारण वादीगण 2, 3, 4 के नाम के सामने हाल रिकॉर्ड जमावंदी में मीना जाति को हजफ कर कोली दर्ज करना आवश्यक है। वादीगण नं0 2, 3 ने वादीया नं0 1 के हक में दिनांक 26.06.2019 को रसीद नं0 201902192000307 के माध्यम से सरकारी शुल्क जमा कराकर एक दान पत्र ख0नं0 618 रकबा 0.14 है0 खसरा नं0 620 रकबा 0.24 है0 किता 2 कुल रकवा 0.38 है0 का वादीगण नं0 2, 3 का हिस्सा 2/3 बनता है का करवा दिया। एक दान पत्र के साथ वादीया नं0 01 ने खसरा नं0 618 रकबा 0.14 है0 खसरा नं0 620 रकवा 0.24 है0 का 2/3 हि[illegible] पर कब्जा काश्त है। वादीगण के मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव [illegible] 01 में वर्णित आराजी में वादीगण 2, 3, 4 के नाम के सामने मी[illegible] कारण वादीया नं0 [illegible] दान पत्र का नामान्तकरण नहीं खुल पा रहा है। इस कारण उ[illegible] खसरा नं0 रिकॉर्ड हा[illegible]मावंदी में वादीगण नं0 2, 3, 4 के नाम के सामने दुरूस्ती कर जाति में मीना के स्थान पर कोली दर्ज कर खातेदारी ख0नं0 618 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 620 रकबा 0.24 है0 किता 2 कुल रकवा 38 ऐयर में से 2/3 हिस्सा जमीन की दुरुस्ती कर दान पत्र के आधार पर खातेदारी के आदेश वादीया नं0 1 के नाम कर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:03 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 16.10.2023 को वादीगण प्रतिवादी के कार्यालय में नामान्तकरण खुलवाने के लिए गये तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा करने की कहा इस कारण दावा करना आवश्यक हुआ।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा कर इन्द्राज फरमाई जावे कि आराजी खसरा नं0 618 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 620 रकबा 0.24 है0 ख0नं0 621 रकबा 0.01 है0 गैर मुमकिन चाह कुल किता 3 रकबा 0.39 है0 आराजी ग्राम सुजानपुरा, तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी में वादीगण नं0 2, 3, 4 के नाम की जाति में हाल जमावंदी रिकार्ड में मीना जाति को हजफ कर कोली दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे। तथा दावा वादीगण डिक्री फरमाकर घोषणा की जावे कि आराजी ख0नं0 618 रकबा 0.14 है0 ख0नं0 620 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम के 2/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार वादीया नं0 1 बत्तो है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार की ओर से प्रस्तुत जबाव में ग्राम सुजानपुरा की जमाबंदी सम्वत 2075—78 में आराजी ख0नं0 618/0.14, 620/0.24, 621/0.01 किता 3 कुल रकबा 0.39 है0 भूमि केशुराम, पृथ्वी, भगवानसिंह पुत्र फैली जाति मीना सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है, मुताबिक जमाबंदी चौसाला संवत 2071—74 की खाता सं0 14 में ख0नं0 618/0.17, 617/0.20, 620/0.24, 621/0.01, 622/0.37 किता 5 रकबा 0.99 है0 भूमि केशुराम, पृथ्वी, भगवानसिंह पि0 फैली जाति कोली सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है, नवीन जमाबन्दी चौसाला संवत 2075—78 दौराने सेग्रीगेशन में खाता सं0 15 ख0नं0 618/0.14, 620/0.24, 621/0.01 में लेखनीय त्रुटीवस खातेदारान की जाति मीना दर्ज हो गई है अतः मुताबिक रिकार्ड एवं फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण की जाति कोली है अतः वादिया की जाति मीना के स्थान पर कोली किया जाना उचित है।

वादीगण वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण न0 2,3,4 की जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। जबकि वादीगण की जाति कोली है। जो जमाबन्दी सम्वत संवत 2071—74 की खाता सं0 14 से साबित है अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण न0 2,3,4, की जाति मीना के स्थान पर कोली दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम ने जबाब मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र वर्णित आराजीयात मे मुताबिक जमाबन्दी वादीगण 2,3,4 की जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। जबकि गत जमाबन्दी मे [illegible] जाति कोली दर्ज रिकार्ड है। अतः गत जमाबन्दी अनुसार वादीगण की जाति [illegible] कोली दर्ज किया जाना उचित है।

वादीगण वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन कि[illegible] पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075—78 के ख0न0 618/0.14, 620/0.24, 621/0.01 मे कसूराम पुत्र फैली हिस्सा 1/3 जाति मीना, पृथ्वी पुत्र फैली हिस्सा 1/3 जाति मीना, भगवानसिंह पुत्र फैली हिस्सा 1/3 जाति मीना दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2067—2070 के खाता न0 13 मे केसुराम, पृथ्वी, भगवान सिंह पि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:03 IST
Reason: SelfAttested

फैली जाति कोली हि.ब. खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता न0 14 मे केसुराम, पृथ्वी, भगवानसिह पि. फैली जाति कोली हि.ब. दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2055–2059 के खाता न0 14 मे केसुराम, पृथ्वी, भगवानसिंह पि. फैली जाति कोली हि.ब. खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा तहसीलदार टोडाभीम ने भी इसी अनुरूप वादीगण न0 2,3,4 की जाति मीना के स्थान पर कोली दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम सुजानपुरा की आराजी ख0न0 618/0.14, 620/0.24, 621/0.01 कुल किता 3 कुल रकवा 0.39 है0 मे वादीगण केसूराम पुत्र फैली, पृथ्वी पुत्र फैली, भगवानसिंह पुत्र फैली की जाति मीना के स्थान पर जाति कोली दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ वास्ते पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.31 16:27:03 IST
Reason: SelfAttested